

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

क्रमांक:- शीवैरा/प्रार/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2020/

दिनांक:-28/01/2020


## ::कार्यालय आदेश::

निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकितानुसार विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स	नाम कर्मचारी मय पद सर्व श्री....	प्रथम नियुक्ति तिथि	विदेश का नाम	अवधि
1.	श्रीमती किरण अद्यापिका राजप्रावि, लुटाना मगनी, प.स. राजगढ, चूरु	24.03.2015	कतर	01.02.2020 से 14.05.2020

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्तों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
- यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
- विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक की आज्ञा से

  
28/01/2020

उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रांशि चूरु.....।
- प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली ।

  
उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर